न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 21/2019 नामान्तरकरण अपील

1. केशरसिंह पुत्र भौंरीलाल जाति जागा बडवा निवासी ग्राम डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. मीठालाल
2. ओमप्रकाश
3. पूरणमल

} पि. लल्लू जाति जागा बडवा निवासी ग्राम डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा।

4. विजेन्द्र पुत्र भौंरीलाल
5. तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 744 ग्राम डिगो बाबत तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.89)

उपस्थिति :— 1 :श्री कमलेश कुमार सैनी अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित ।
2: श्री सूरज कुमार सैनी अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 लगा. 4 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 26.03.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि लल्लू पुत्र औंकार की भूमि आराजी खसरा नं. 784/159 रकबा 5 बीघा ग्राम डिगो तहसील लालसोट में स्थित है। जिसका मृतक लल्लू की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 744 हल्का पटवारी द्वारा वास्तविक नाम सजरे में अंकित नहीं कर लड्डू नाम दर्ज करते हुए भर दिया जिसे तहसीलदार लालसोट द्वारा बिना किसी जांच के ही शिविर राजौली में दिनांक 19.0689 को स्वीकार कर दिया जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम केशरसिंह है। इसलिये अपीलान्ट द्वारा यह अपील नामान्तरकरण संख्या 744 दिनांक 19.06.89 ग्राम डिगो तहसील लालसोट निरस्त करवाकर उक्त नामान्तरकरण में अपीलान्ट का वास्तविक सही नाम केशरसिंह पुत्र भौंरीलाल दर्ज करने के लिये न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडन्ट्स की गयी रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सरूज कुमार सैनी उपस्थित आये। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि लल्लू पुत्र औंकार की भूमि खसरा संख्या 784/159 रकबा 5 बीघा ग्राम डिगो तहसील लालसोट का विरासत का नामान्तरकरण लल्लू की मृत्यु के पश्चात् दिनांक 19.06.1989 को स्वीकृत किया गया था। जिसमें अपीलान्ट का वास्तविक नाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सजरे में अंकित नहीं कर लड्डू नाम दर्ज कर दिया गया। जिसे तहसीलदार लालसोट ने भी बिना किसी जांच के स्वीकृत कर दिया। जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम सभी राजकीय दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, शिक्षा से सम्बन्धित दस्तावेज, परिवार राशन कार्ड में केशरसिंह दर्ज है। ग्राम पंचायत डिगो द्वारा दिनांक 1.3.2019 को जारी प्रमाण पत्र में भी अपीलान्ट का वास्तविक नाम केशरसिंह ही बताया है तथा अपीलान्ट केशरसिंह एवं लड्डू एक ही व्यक्ति होना प्रमाणित किया गया है। विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट के वास्तविक सही नाम की जांच नहीं की गई एवं अपीलान्ट का नाम लड्डू दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट का नाम सही अंकित नहीं होने से वर्तमान में सरकार द्वारा कृषको को मिलने वाले लाभ से अपीलान्ट को वंचित होना पड रहा है। इसलिये अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 744 दिनांक 19.06.1989 ग्राम डिगो तहसील लालसोट निरस्त किया जावे एवं नामान्तरकरण में अपीलान्ट का वास्तविक नाम केशरसिंह पुत्र भौंरीलाल दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 4 द्वारा निवेदन किया गया कि लल्लू के स्वर्गवास के पश्चात् खोले गये विरासत के नामान्तरकरण सं. 744 में केशरसिंह के स्थान पर लड्डू नाम दर्ज हो गया जबकि लड्डू का वास्तविक नाम केशरसिंह है एवं केशरसिंह एवं लड्डू एक ही व्यक्ति है। उक्त नामान्तरकरण में लड्डू के स्थान पर केशरसिंह दर्ज किया जाना आवश्यक है ताकि उक्त भूमि के बाबत विकास कार्य हेतु सरकारी योजनाओं का फायदा अपीलान्ट को मिल सके। यदि उक्त नामान्तरकरण में लड्डू के स्थान पर केशरसिंह किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 4 को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण संख्या 744 दिनांक 19.06.89 में लड्डू के स्थान पर अपीलान्ट का नाम केशरसिंह किया जाने में रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 4 को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 744 दिनांक 19.06.89 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में वारिसान की जांच कर पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत का समूचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार लालसोट को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा